रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092021-229867
CG-DL-E-22092021-229867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943
No. 531] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2021

सा.का.नि. 647(अ) .—यत: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में उपाबंध किया गया है कि पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग तत्काल खाने या पीने योग्य खाद्य पदार्थों के भण्डारण, वहन, प्रबंधन या पैकिंग के लिए नहीं किया जाएगा;

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) वह अधिनियम है जिसका उद्देश्य खाद्य से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ता प्रदान करना और खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करना तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के तहत नोटिस की आवश्यकता को लोक हित में समाप्त करने के पश्चात्, एतद् द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में, नियम 4 में, उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुन॒चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग तत्काल खाने या पीने योग्य खाद्य पदार्थों के भंडारण, वहन, प्रबंधन या पैकिंग के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत उपयुक्त मानकों और समुचित विनियमन के संबंध में जारी अधिसूचना के अधीन किया जा सकता है;"।

टिप्पण: मूल नियमों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा किया गया।

[फा.सं. 17/17/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

G.S.R. 647(E).—Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 were notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016;

Whereas clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 of the said rules provides that carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff;

Whereas, Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is an Act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto;

Now therefore, in exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules to further amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016, in rule 4, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

"(b) carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic can be used for storing, carrying, dispensing, or packaging ready to eat or drink food stuff subject to the notification of appropriate standards and regulation under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) by the Food Safety and Standards Authority of India;".

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R 285 (E), dated the 27th March, 2018 and last amended vide notification number G.S.R. 571 (E), dated the 12th August, 2021.

[F. No. 17/17/2021 -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.22 20:07:46 +05'30'